



क्षेत्रीय कार्यालय यू.पी.एस.आई.डी.सी. झाँसी के अन्तर्गत औद्योगिक, आवासीय एवं स्कूल/कालेज हेतु "भूखण्ड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर"

यह योजना दिनांक 08.10.2012 से 28.10.2012 तक लागू

उपलब्ध भूखण्डों का विवरण एवं दर तथा सामान्य शर्तें

लोकेशन तथा कार्नेर चार्जस अतिरिक्त।

औद्योगिक क्षेत्र का नाम	भूखण्ड का प्रकार	भूखण्ड का क्षेत्रफल	कुल उपलब्ध भूखण्ड	दर प्रति वर्ग मी.
झाँसी ग्रोथ सेन्टर	औद्योगिक	200 से 500 वर्ग मी.	81	₹ 800/-
		800 से 1000 वर्ग मी.	76	
		2000 से 4000 वर्ग मी.	11	
झाँसी ग्रोथ सेन्टर फेज - प्रथम (आवासीय)	पीएस-2 स्कूल/कालेज	6274 वर्ग मी.	1	₹ 2500/-
		25000 वर्ग मी.	1	
झाँसी ग्रोथ सेन्टर फेज - द्वितीय	आवासीय (लाटरी पद्धति)	600 से 875 वर्ग मी.	11	₹ 2500/-
		200 से 300 वर्ग मी.	38	
सुमेरपुर, हमीरपुर	औद्योगिक	800 वर्ग मी.	1	₹ 500/-
		1800 वर्ग मी.	20	
		3500 से 5500 वर्ग मी.	10	
		10,000 से 20,000 वर्ग मी.	9	
		20,000 से 25,000 वर्ग मी.	2	
उरई, जालौन-प्रथम	औद्योगिक	450 से 1000 वर्ग मी.	1	₹ 500/-
		1200 वर्ग मी.	1	
		1700 से 2100 वर्ग मी.	6	
		3200 से 8500 वर्ग मी.	7	
उरई, जालौन-द्वितीय	औद्योगिक	800 वर्ग मी.	24	₹ 500/-
		1800 से 2500 वर्ग मी.	6	
		3200 वर्ग मी.	25	
उरई, जालौन-द्वितीय (आवासीय)	स्कूल/कालेज (साक्षात्कार द्वारा)	15,000 वर्ग मी.	1	₹ 1020/-

पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि: 28.10.2012 सायं 5 बजे तक

नियम एवं शर्तें: 1. प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवेदन पत्र ₹ 525/- मय सर्विस टैक्स सहित प्रति आवेदन पत्र की दर से यू.पी.एस.आई.डी.सी. प्रशासनिक भवन, ग्रोथ सेन्टर, बिजौली, झाँसी से दिनांक 08.10.2012 से 28.10.2012 तक प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 28.10.2012 सायं 5:00 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। 2. आवेदन प्राप्ति के उपरान्त औद्योगिक भूखण्डों एवं स्कूल/कालेज के आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु आवेदक को योग्यता, अनुभव प्रमाणपत्र, सोसाइटी आदि का रजिस्ट्रेशन, अन्य जगह स्कूल/कालेजों का विवरण तथा वित्तीय स्थिति का विवरण आदि लाना होगा तथा साक्षात्कार के पश्चात् सफल आवेदकों को आवंटन पत्र निर्गत किये जायेंगे किन्तु आवासीय भूखण्डों के आवंटन लाटरी पद्धति से किए जायेंगे। 3. आवेदन पत्र के साथ प्रोसेसिंग फीस के मद में 1 एकड़ तक ₹ 2000/-, 1 एकड़ से 5 एकड़ तक ₹ 5000/-, 5 एकड़ से अधिक ₹ 10,000/- का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर एवं अग्रिम धनराशि के मद में भूखण्ड की लागत का 10% धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो यू.पी.एस.आई.डी.सी. लि० झाँसी के पक्ष में देय हो, फार्म के साथ सलमन करना होगा। 4. आवासीय भूखण्डों के आवंटियों को पट्टाविलेख निस्पादन से पूर्व लीज-रेन्ट के मद में एकमुश्त कुल प्रीमियम का 10% धनराशि देय होगी। 5. प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.एस.आई.डी.सी.लि. को किसी भी या सभी आवेदनों को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा। 6. आवंटन तिथि पर लागू प्रचलित दर ही अनुमन्य होगी।

आवंटन प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें कारपोरेशन की वेबसाइट www.upsidc.com पर देखी जा सकती है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक